27/7/2017 पत्रावली पेश की। गैर सरपंच बाबूलाल द्वारा
गैर दायर पत्रावली का अवलोकन किया
संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी
हल्का मेड़ास ने मौजा भाडवा के ख.नं. 616
रकबा 0.0100 हे. किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर
सम्बन्ध होने से मोहनदास पुत्र गणपतदास जाति
सोर निवासी भाडवा के विरुद्ध नाजायज रूप से अतिक्रमण
के सम्बन्ध में डी.पी. रिपोर्ट पेश की गई जिस पर
इस न्यायालय ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 91 के अन्तर्गत राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर सरपंच
के विरुद्ध एम.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत
नोटिस जारी किया गया गैर सरपंच उपस्थित हुए सुनवाई
गैर सरपंच ने राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण
किया है इसलिए अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजकीय
भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर
राजकीय भूमि पर किये रास्ते के अतिक्रमण को मौखिक
रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना के लगान की पचास
गुणा जुर्माना राशि 3) (तीन रुपये मात्र) वसूल किये
जाते हैं। पटवारी हल्का मेड़ास को मौखिक बेदखली एवं
आरोपित जुर्माना राशि की वसूली हेतु लिखा जाकर
पत्रावली जुर्माना राशि की मोजा वसूली हेतु डी.आर.ए.
तहसील रियां बड़ी को भेजी जाकर पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय आज दि. 27/7/2017
को मुझे न्यायालय के सुनाया गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(बालोतरा - राजस्थान)